न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 17/2012 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

विस्सो पुत्री स्व0 लालपति आयु करीब 70 वर्ष जाति लोधा निवासी ग्राम मांगरौल हाल आबाद ग्राम कलाल खेरिया तहसील व जिला आगरा ।

.....अपीलांट।

बनाम

1. सीयाराम पुत्र लालपति जाति लोधा निवासी ग्राम मांगरौल तहसील व जिला धौलपुर।
2. प्रभाषचन्द } पुत्रगण त्रिलोकचन्द जातिगण वैश्य निवासीगण जैन मौहल्ला, धौलपुर।
3. यतेन्द्र कुमार }
4. बालीराम पुत्र श्री रामचरन जाति लोधा निवासी ग्राम राजा का नगला तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर।
5. बाबूलाल पुत्र श्री जंगजीत जाति लोधा निवासी ग्राम लकावली खेरिया तहसील व जिला आगरा।
6. श्रीमान् तहसीलदार साहब धौलपुर व हैसियत लैण्ड होल्डर।

.....रेस्पोंडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर दिनांक 02.12.11 मि.नं. 129/2009 उनवानी विस्सो बनाम सीयाराम।

उपस्थितिः–

1. श्री किशन सिंह त्यागी वकील अपीलांट।
2. श्री योगेश शर्मा वकील रैस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक–16.11.2017

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 02.12.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादिया ने एक वाद बाबत् आराजी खसरा नम्बर 1314 रकवा 01 बीघा 09 विस्वा, 1341 रकवा 15 विस्वा, 1342 रकवा 01 बीघा 9 विस्वा कुल किता 03 रकवा 03 बीघा 13 विस्वा वाके ग्राम बाल गोविन्द

Web Copy - Not Official

का पुरा तहसील व जिला धौलपुर, इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त कृषि भूमि के अभिलिखित खातेदार काश्तकार अपीलाण्ट/वादिया के पिता लालपति पुत्र खुशियाली थे। लालपति का निधन हो चुका है। लालपति के वारिस एवं उत्तराधिकारी पत्नी धूपो, पुत्र सीयाराम तथा अपीलाण्ट/वादिया विस्सो थे। धूपो का भी निधन हो चुका है। रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 01 सीयाराम बडा ही सरकस किस्म का बेईमान व्यक्ति है, जिसने अपीलाण्ट/वादिया के पिता लालपति के निधनोपरांत अपीलाण्ट/वादिया की बैक पर राजस्व कर्मचारियों से साज कर अवैध रूप से अपने पक्ष में तथा स्व0 धूपो के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 909, जमाबन्दी संवत 2042 से 2045 में खुलवा लिया, जो अवैध है तथा मुकाबले हकूक अपीलाण्ट/वादिया शून्य एवं बेअसर है। इसके अलावा धूपो वेवा लालपति के निधनोपरान्त धूपो के अधिकार खातेदारी की विरासत नामांतकरण संख्या 1556, जमाबन्दी संवत 2050 से 2053 अपीलाण्ट/वादिया विस्सो एवं रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 01 सीयाराम के पक्ष में खुला, जिसमें अपीलाण्ट/वादिया को मात्र 1/4 हिस्सा मिला है। जबकि विवादग्रस्त आराजी में अपीलाण्ट/वादिया का 1/2 बनता है। उक्त गलत इन्द्राजों की आड में रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 01 ने रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 02,03 के पिता त्रिलोकचन्द पुत्र चिरोंजीलाल को अपना उक्त हिस्सा अवैध रूप से 2/3 भाग विक्रय कर दिया। अपीलाण्ट/वादिया अपनी मॉ से प्राप्त हिस्सा 1/4 भाग को रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 05 के पक्ष में विक्रय कर चुकी है तथा अब अपीलाण्ट/वादिया का विवादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा शेष है। अतः अपने अधिकारो की उदघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावा, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादिया द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 4 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में जाकर, बहस अपीलाण्ट एंव रैस्पो0संख्या 5 सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी लिखित बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश, अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कायदे कानून व रूयेदाद मिसिल होने के कारण, काबिल खारिजी है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 को प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं स्वतंत्र गवाह द्वारिका की साक्ष्य से सिजरा प्रमाणित कराया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकी को पूर्ण साबित मानने की बजाय आंशिक साबित मानने में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 व 9 के तहत प्रथम श्रेणी के सभी उत्तराधिकारियों में मृतक की सम्पत्ति प्रकांत होती है तथा कृषि भूमि के सम्बन्ध में हिन्दुओं के नामांतकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत खोले जाते हैं। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलाण्ट विस्सो स्व0 लालपति की प्रथम श्रेणी की वारिस है। अधीनस्थ न्यायालय का यह कथन कि

अपीलाण्ट विस्सो ने 1/4 हिस्सा बाबूलाल को विक्रय कर दिया तथा विक्रय के पश्चात् पूर्व के नामान्तकरण संख्या 909 को गलत ठहराया जाने का कोई औचित्य नहीं है, पूर्णतः अवैध है, क्योंकि उक्त विक्रय पत्र के हो जाने से अपीलाण्ट को उसके पूर्व के हिस्से से वंचित नहीं किया जा सकता तथा ना ही नामांतकरण संख्या 909 को विधिसम्मत ही माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादिया ने तनकी संख्या 04 को अपनी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के माध्यम से पूर्णतः साबित किया था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 04 के संबंध में ना तो कोई विवेचन किया तथा अपीलाण्ट के विरूद्ध निर्णित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 05, 06, 07, 08 के सम्बन्ध में भी कोई विधिसम्मत निर्णय पारित नहीं किया तथा ना ही कोई विवेचन किया। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 व 09 के तहत हिन्दुओं में कृषि भूमि का मृतक निर्वसीयती के उत्तराधिकारियों में नामांतकरण होता है तथा धारा 40 आर0टी0ए0 में भी यही प्रावधान है। अपीलाण्ट को नामांतकरण संख्या 909 में छोड दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0टी0 2006(2) पेज 1364, 2005(2) पेज 1358, 2003(1) पेज 157, 2007(2) पेज 1041, 2001(2) पेज 947, 2011(1) पेज 432, 2012(2) पेज 850, 2003(1) पेज 157, आर0आर0डी0 1996 पेज 161, डी0एन0जे0 2010(एस. सी.) पेज 175 का उद्धरण पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक साथ चार दावे निस्तारण किये गये हैं। जिनमें एक दावा 84/2009 उनवान बाबूलाल बनाम सीताराम वगै0 में राज0काश्त0अधिनियम धारा 53 अन्तर्गत प्राथमिक डिक्री किया है एवं शेष दावें खारिज किये हैं। अपीलाधीन दावा विस्सो बनाम सियाराम वगै0 अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 खारिज हुआ है, अतः उक्त आदेश विरूद्ध अपील कैसे संधारणीय है, जब दावा 84/2009 बाबूलाल बनाम सीताराम में जारी प्राथमिक डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। इस प्रश्न पर वकील अपीलाण्ट ने न्यायिक नजीर आर0आर0टी0 2012(2) पेज 1090 एवं 2012(1) पेज 351 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर, विवदित आराजी में अपीलाण्ट को 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 संख्या 05 ने जबाबी बहस में कोई आपत्ति जाहिर ना करते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित आठ तनकियॉ कायम की गई हैं। तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है :–

6. तनकी संख्या 01 व 07 एक दूसरे की पूरक होने के कारण एक साथ निस्तारित की जा रही हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रदर्श ए–5, नकल नामान्तकरण संख्या 1556 ग्राम मॉगरौल के अनुसार मृतक धूपो के वारिसान सियाराम व विस्सो हैं। चूंकि धूपो के पति लालपति होने एवं विस्सो धूपो की पुत्री होने पर विवाद नहीं है, अतः अन्यथा साक्ष्य के अभाव

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में यह सहज मान्य है कि धूपो लालपति की पुत्री थी। प्रदर्श ए–2 जमाबन्दी संवत 2037–40 में विवादित भूमि लालपति के नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त तनकी, आंशिक करने की बजाय पूर्णतः वहक अपीलाण्ट/वादिया निर्णित करनी चाहिए थी।

7. तनकी संख्या 02, 03 व 04 :– न्याय का मूलभूत सिद्धान्त है, अधिकार उनको प्राप्त होते हैं, जो उसके प्रति सचेत होते हैं। लालपति के निधन के बाद उसकी विरासत, नामान्तकरण संख्या 909 द्वारा अपने भाई सियाराम व माता धूपो के नाम नामांतकरण होने पर, अपीलाण्ट/वादिया ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। इतना ही नहीं, धूपो के निधन के बाद नामान्तकरण संख्या 1556 में स्वयं को हिस्सा प्राप्त होने पर उसका विक्रय रैस्पो0 संख्या 05 बाबूलाल को कर दिया। तत्समय भी अपीलाण्ट ने अपने कथित अप्राप्त हिस्से बाबत् कोई चाराजोई नहीं की। बाबूलाल को अधिकारों का हस्तांतरण विधिक प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। उसे अपीलाण्ट की अपीलाधीन वाद द्वारा चुनौती हम ''पश्चातवर्ती विचार'' (After Thought) होना व सद्भावी नहीं होना पाते हैं। लालपति की मृत्यु के बाद, उसकी विरासत नामान्तकरण जून 1984 में दर्ज हुई है। परन्तु दावा जून 2009 में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार 25 वर्ष तक अपीलाण्ट ने अपने कथित अधिकारों की कोई परवाह नहीं की है, अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(4) अन्तर्गत, उसके कोई अधिकार सृजित भी होते हैं, तो उनका शमन हो चुका है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट/वादिया ने विवादित भूमि पर कब्जे का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। बिना कब्जा, खातेदारी अधिकारों की घोषणा सम्भव नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के इन तनकियों के निष्कर्ष में हम हस्तक्षेप की कोई सम्भावना नहीं पाते हैं।

8. उपरोक्त विवेचना उपरांत तनकी संख्या 05 व 06 की विवेचना प्रासंगिक नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय की तनकी विवेचना में केवल तनकी संख्या 01 व 07 में संशोधन हुआ है, जो अपीलाण्ट/वादिया के दावे की सफलता के लिए अपर्याप्त है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 02.12.2011 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावें।

10. निर्णय आज दिनांक 16.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official